राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1 (ए) 102 / जि.स्था. / पार्ट–14 / संस्था / बीमा / 2020 / दिनांकः 13-07-2021

आदेश 187

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) से जारी आदेश क्रमांक प.5(1)प्रसु / सम / अनु–1 / 2018 दिनांक 06.07.2021 के अनुसरण में इस विभाग के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्यरत समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे वर्तमान पदस्थापित स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरण के इच्छुक है तो स्थानान्तरण के लिए आवेदन ई–राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। स्थानान्तरण के इच्छुक कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नांकितानुसार प्रक्रिया पूर्ण करेंगेः–

- sso.rajasthan.gov.in पर लॉगइन करें।
- राजकाज मॉड्यूल के ICON पर क्लिक करें।
- पहली बार राजकाज पर क्लिक करने पर SSOID प्रविष्ट करके Fetch details पर क्लिक करें एवं Profile Update करें अथवा Application Icon पर क्लिक करें।
- Transfer and Posting Menu पर क्लिक करें।
- Transfeer Request self पर क्लिक करें।
- Apply for Transfer पर क्लिक करें।
- स्थानान्तरण के लिए तीन विकल्प का चयन कर सकते है।
- Reason Box में से वांछित Reason सलेक्ट करें।
- Supporting Documents की PDF file (अधिकतम सीमा 50 MB) अपलोड करें।
- सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भरकर Submit करें।

किसी भी कर्मचारी के आदिनांक तक ऑफलाइन एवं ऑनलाईन स्थानान्तरण आवेदन किया हुआ है तो उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की जाएगी। इच्छुक कार्मिकों को ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा ऑफलाईन प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नही किए जाएगें। यह आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानान्तरण का अधिकार नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के बिना भी विभाग राजहित में विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र होगा। इच्छुक कर्मचारी ई– राजकाज पोर्टल पर स्थानान्तरण के लिए केवल एक बार ही आवेदन कर सकते हैं एवं अपने स्थानान्तरण हेतु अधिकतम तीन विकल्पों का चयन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कर्मचारी की आईडी का मैपिंग होना आवश्यक है अतः आवेदक कर्मचारी ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी आईडी मैपिंग करवाये एवं किसी भी प्रकार के व्यवधान की स्थिति में sa.sipf@rajasthan.gov.in अथवा acp.sipf@rajasthan.gov.in पर मेल द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है। स्थानान्तरण आवेदन हेतु यह लिंक दिनांक 14.07.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 05.08.2021 रात्रि 11:59 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
क्रमांक : एफ.1 (ए) 102 / जि.स्था. / पार्ट–14 / संस्था / बीमा / 2020 / 3837-86 दिनांकः 13-07-2021

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग, मुख्यालय जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (राज्य बीमा / सतर्कता) मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग मुख्यालय / साबीयो ।
4. मुख्यलेखाधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
5. वरिष्ठ अतिरिक्त / अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, संभाग कार्यालय
6. सिस्टम एनालिस्ट / एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय जयपुर
7. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जिला कार्यालय
8. कैडर स्ट्रेन्थ लिपिक
9. रक्षित पत्रावली

13/7/2021

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर